

District Registry Office, Muzaffarpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 2937

RTPS No.:-
030111141002102859

चूंकि श्री Shristi Homes Pvt. Ltd. ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवमारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2012 से ता० 10/08/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है:-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं	पृष्ठ तक	वर्ष
1	Muzaffarpur Mushahari		Kanhauli Vishundatt (411)	150	2421 (N)	04 Kattha 09 Dhur		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

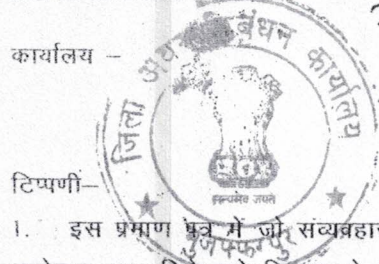
नाम - Sri Ashok Kumar Tiwary
LDC *Ashok Kumar Tiwary*
24.8.21

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम - Ranjeet Kumar
Lower Division Clerk *Ranjeet Kumar*
24/8

कार्यालय - District Registry
Office, Muzaffarpur तारीख -

24/08/2021



टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)

2 निबन्धन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3 किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4 और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 2937 दिनांक:- 24/08/2021

शाखा प्रबंधक Shristi Home Pvt. Ltd. के पत्र दिनांक 02/08/2021

के आलोक में प्रेषित।

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

SHRISTI HOMES PVT. LTD.
Shiraj Kumar
DIRECTOR